प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1093 सन 2021
अनवान :–

1. प्रहलादराय पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भूपसिह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भीमसैन पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर ।
3. शारदा पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
4. सुमन पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 26.11.2021.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 130 की कुल 4.9335हैक रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 183/162 की कुल 4.8070हैक व चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 184/463 की कुल 3.5420हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से तीनों खातो की भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गावं कें संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से तीनों खातो की भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 815 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक्ट एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक्ट मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक्ट व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक्ट में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से तीनों खातो की भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 130/116 की कुल 4.9335हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी 4/13 हिस्सा का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 183/162 में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/18 हिस्सा एवं चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 184/163 की कुल 3.5420हैक्ट में से वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/18 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .जसाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. प्रहलादराय पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भूपसिह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भीमसैन पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर ।
3. शारदा पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
4. सुमन पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1093 सन 2021 निर्णय दिनांक–26.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 130/116 की कुल 4.9335हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी 4/13 हिस्सा का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 183/162 में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/18 हिस्सा एवं चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 184/163 की कुल 3.5420हैक्ट में से वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/18 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....जसाना